शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या– 124 /68–5–2019

प्रेषक,

डॉ0 प्रभात कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 दिनांक 20 फरवरी, 2019

विषयः नई अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त परिषदीय/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियुक्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1683/68–5–2018 दिनांक 02 नवम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें नवीन पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रान (PRAN) खाता खोले जाने तथा एन0पी0एस0 अंशदान की कटौती किए जाने के संदर्भ में दिशा–निर्देश दिए गए थे। नवीन पेंशन योजना के संबंध में वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश सं0– स–3–91/दस–2019–301(9)–2019 दिनांक 13.02.2019 एवं शासनादेश सं0– स–3–91ए0/ दस–2019–301(9)–2019 दिनांक 13.02.2019 निर्गत किये गये हैं।

2– इस संबध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि नवीन पेंशन योजना के सम्बन्ध में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित् किए जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जायः–

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी दिनांक 28.02.2019 तक विकास खण्ड वार कैम्प लगाकर नवीन पेंशन योजना से आच्छादित सभी शिक्षकों से प्रान (PRAN) के लिए पंजीकरण हेतु फार्म (CSRF Version1.3) दो प्रतियों में भरवा कर परीक्षण/हस्ताक्षर हेतु वित्त एवं लेखाधिकारी को प्रेषित करें। वित्त एवं लेखाधिकारी परीक्षणोंपरान्त उक्त फार्म तत्काल एन0एस0डी0एल0 को प्रेषित करें। वेब साइट www.nsdl.co.in पर login करके DD0 वार PRAN आवंटन की प्रगति देखी जा सकती है।

2. पंजीकरण होने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी तत्काल वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय के कम्प्यूटर पर निर्धारित सॉफ्टवेयर में प्रान (PRAN) फीड कराना सुनिश्चित् करेंगे एवं शासनादेश संख्या– 2352 / 79–5–2012–1(26)/2012 दिनांक 23 जुलाई, 2012 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किए जाने वाले परिवर्तन(Variation) के साथ प्रान आवंटित शिक्षकों की कटौती कर लिए जाने का प्रमाण पत्र भी वित्त एवं लेखाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

3. एन0पी0एस0 अंशदान की कटौती एन0एस0डी0एल0 की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित् किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे समस्त शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उनके अपने एकाउन्ट को एक्सेस (Access) करने, विवरण देखने तथा प्रिन्ट आउट आदि प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया से भिज्ञ करायेंगे।

4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी यह सुनिश्चित् करेंगे कि शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नवीन नियुक्ति पर उनके प्रथम वेतन आहरित होने से पहले प्रान (PRAN) में पंजीकरण हो जाये और उनकी कटौती प्रारम्भ हो जायें।

5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित् किया जाएगा कि किसी भी दशा में पेंशन की धनराशि की शत–प्रतिशत कटौती किये बिना धनराशि समर्पित नहीं की जाएगी।

6. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश नियमित रूप से इसका पाक्षिक अनुश्रवण करते हुए अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत करायेंगे।

उपरोक्त आदेशों का समयान्तर्गत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।

भवदीय,

(डॉ0 प्रभात कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0/एम0डी0एम0/साक्षरता/उत्तर प्रदेश।
3–सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4–वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5–समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
6– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
7– समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा–उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
8–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।